International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ज़रदोजी उद्योग मे कार्यरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक आकांक्षाएं एवं विभिन्न सरकारी शैक्षिक नीतियाँ : पायलट अध्ययन

शिल्पी सक्सेना[1], डॉ० अनुपमा मेहता[2]

[1]रिसर्च स्कालर, इलाहाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन, सैम हिग्गिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ ऐग्रिकल्चर, टेक्नॉलजी एण्ड साइंसेज प्रयागराज

[2]असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद स्कूल ऑफ एजुकेशन, सैम हिग्गिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ ऐग्रिकल्चर, टेक्नॉलजी एण्ड साइंसेज प्रयागराज

सारांश :

ज़री-ज़रदोजी एक प्रकार की हस्तकला है जिसे मुख्यतः वस्त्रों,जूतों,बैग्स,बेल्ट्स इत्यादि पर किया जाता है। ज़रदोजी उद्योग एक प्रकार का कुटीर उद्योग है जोकि देश के विभिन्न क्षेत्रों मे किया जाता है जैसे लखनऊ,बरेली,भोपाल,बनारस,आदि प्रमुख है। कुटीर उद्योग होने के कारण ज़रदोजी उद्योग घर-घर मे किया जाता है। अन्य उद्योगों की तरह ज़रदोजी उद्योग मे भी काफी संख्या मे बाल श्रमिक संलग्न है। जो शिक्षा से विमुख होकर किसी मजबूरीवश या स्वतः ही ज़रदोजी कार्य कर रहे है। बाल श्रम किसी भी देश के लिए अभिशाप है। किसी देश के बच्चों को जिस प्रकार की सुविधाएं,वातावरण शिक्षा एवं संस्कार प्राप्त होते है,उसी के अनुरूप उस देश के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास संभव हो पाता है। यदि बच्चों को बचपन मे ही श्रम कार्यों मे लगा दिया जाएगा तो वे अपने परिवार,समाज एवं देश के प्रति जिम्मेदारियों का उचित निर्वहन नहीं कर पायेंगे। सम्पूर्ण विश्व मे बाल श्रम एक भयावह समस्या बन गया है। वैश्विक स्तर पर प्रयास होने के बावजूद भी बाल श्रमिकों की संख्या घट नहीं रही है। प्रस्तुत शोध-पत्र बरेली जनपद के जरदोजी उद्योग मे कार्यरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक आकांक्षाएं एवं विभिन्न सरकारी शैक्षिक नीतियों पर आधारित पायलट अध्ययन पर आधारित है जिसके आधार पर आगामी शोध किया जाएगा।

मुख्य शब्द-ज़रदोजी उद्योग,बाल श्रमिक,शैक्षिक आकांक्षा,सरकारी शैक्षिक नीतियाँ

प्रस्तावना-

भारत का कोना-कोना कला एवं संस्कृति से समृद्ध है। देश के प्रत्येक क्षेत्र की कोई न कोई कला विश्व-प्रसिद्ध है फिर चाहे वो नृत्य-संगीत हो या कोई हस्तकला। इन्ही कलाओं मे से एक हस्तकला है-ज़री-ज़रदोजी। ज़री-ज़रदोजी प्राचीन काल से ही भारत मे की जा रही है। ज़रदोजी वस्त्रों,जूतों आदि पर की जाने वाली एक कलात्मक कढ़ाई है जिसे विभिन्न धातुओं के तारों,मोती,डबका,गोटा,सितारे आदि के द्वारा सुसज्जित किया जाता है। ज़रदोजी उद्योग कारीगरों मे पैतृक व्यवसाय की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ज़रदोजी कारीगर पीढ़ियों से इस कला का हस्तांतरण अपनी अगली पीढ़ी मे करते चले आ रहे जिससे ये कला आज भी जीवित है। बहुत से कारीगरों ने ज़रदोजी कला को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। वे अपने परिवार का पोषण इसी कला के माध्यम से कमाई कर के करते हैं। बरेली जनपद मे ज़रदोजी कारखाना एवं गृह दोनों ही स्तर पर देखने को मिलता है। ये कारीगर अपने घरों मे ही ज़रदोजी के अड्डे लगा कर नियत समय पर ज़रदोजी के समान तैयार कर के ठेकेदारों को देते हैं।घर मे ज़रदोजी के अड्डे लगे होने के कारण इनके परिवार भी इस कार्य को करते है जिसमे महिलायें,बुजुर्ग एवं बच्चे भी शामिल रहते हैं। ये बच्चे इनके घर-परिवार,पड़ोस,रिश्तेदारों के भी होते है और कभी ज़रदोजी कार्य के लिए श्रमिक के रूप मे दूर से भी ये बाल श्रमिक लाए जाते हैं। ज़रदोजी कार्य मे 6-7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक संलग्न है। ये बाल श्रमिक कई कारणों जैसे गरीबी,अज्ञानता,पारिवारिक कर्ज को चुकाने आदि के लिए श्रम करने को विवश हैं। श्रम करने के कारण असमय ही इन बच्चों पर पैसे कमाने का बोझ आ गया है जो इन मासूमों से इनका बचपन छीन रहा है। ज़रदोजी के अड्डों मे ये बच्चे पूरे-पूरे दिन कार्य करते है जिससे इनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है। **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के निदेशक ने बाल श्रमिकों को परिभाषित करते हुए कहा है कि, "**ये वे किशोर नहीं है जो दिन के कुछ घंटे खेल और अध्ययन से निकाल कर जेब खर्च के लिए काम करते हैं। ये वे बच्चे भी नहीं है जो वयस्कों की जिंदगी जीने को विवश हैं। दस से अठारह घंटे काम करके,कम वेतन और अधिक श्रम बेचते,बुनियादी शिक्षा और खेल से वंचित और कभी-कभीअपने परिवार से अलग रहते हुए है.... ।" बालकों को श्रम की तरफ धकेल कर उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वर्तमान मे करोड़ों बच्चे बाल श्रमिक के रूप मे विभिन्न फैक्ट्रीज़, होटल, मोटेल ढाबों, दुकानों मे ,खतरनाक उद्योग जैसे कांच, चूड़ी, सिमेन्ट, बीड़ी, पटाखा आदि जैसे उद्योगों मे जानलेवा स्थितियों मे कार्य कर रहे हैं। जिस उम्र मे इन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस

उम्र मे ये बच्चे अपने कमजोर कंधों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाए हुए हैं। बेहद कम मेहनताने के लिए ये बच्चे पूरे दिन श्रम करते हैं। वयस्कों की तुलना मे बाल श्रमिकों को काम मजदूरी देनी पढ़ती है जिस कारण नियोक्ता भी इनको काम पर रख कर इनका शोषण करते हैं। पूरे दिन काम करने के बावजूद इन्हे काम मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार नियोक्ता भी इनका शोषण करते है। बाल श्रम के पीछे कई कारण है जिनमे मुख्यतः गरीबी,पारिवारिक कर्ज को चुकाना,अज्ञानता,शैक्षिक संसाधनों की कमी,परिवार का बड़ा आकार,आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन आदि हैं।

बाल श्रम करवाना अपराध है परंतु फिर भी हम अपने आस-पास काफी संख्या मे बाल श्रमिक देखते हैं। अन्य उद्योगों की तरह ज़रदोजी उद्योग मे भी बाल श्रमिक देखने को मिलते हैं, ज़रदोजी की कई छोटी-बड़ी इकाईयों के अलावा ये घर-घर मे भी किया जाता है। घर -परिवार के लोगों के अलावा इस कार्य मे बाहर से लाकर श्रमिकों की पूर्ति भी की जाती है,जिनमे बाल श्रमिक भी होते है। जिनको काफी कम मजदूरी पर कार्य पर रखा जाता है। बरेली जनपद मे ज़रदोजी पीढ़ियों से लोग करते चले आ रहे हैं। इस कार्य मे उनके घर के,पास-पड़ोस के बच्चे भी कार्य करते हैं। ये बच्चे श्रमिक के रूप मे कार्य करते ही जिस कारण ये स्कूल नहीं जा पाते या यदि जाते भी भी है तो स्कूल के बीच समय मे ही वापस आ जाते हैं। जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाते है। उचित शिक्षा न प्राप्त होने के कारण ये बालक बाल श्रमिक ही बने रहने को विवश है।

बाल श्रम संबंधी कुछ तथ्य-

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्तमान मे लगभग 16 करोड़ बालकों को जीविकोपार्जन के लिए श्रम करना पड़ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक अध्ययन के अनुसार विश्व के अधिकतर बाल श्रमिक लगभग 71 प्रतिशत बागानों एवं कृषि क्षेत्र मे कार्यरत है,लगभग 17 प्रतिशत घरेलू या प्रतिष्ठानों मे नौकर के रूप मे सेवारत हैं तथा 12 प्रतिशत बाल श्रमिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों ,खदानों आदि मे श्रम करने को विवश है।

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत मे बाल श्रमिकों की संख्या 1.01 करोड़ है जिसमे 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। दुनिया भर मे कुल मिलाकर 15.20 करोड़ बच्चे-6.4 करोड़ लड़कियां और 8.8 करोड़ लड़के बाल मजदूर होने का अनुमान लगाया गया है। जबकि गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत मे करीब 5 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है।

गैर-सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व मे करीब 16.8 करोड़ बच्चे आज भी बाल मजदूरी करने को विवश है। यह संख्या दुनिया की 5 से 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की 10 फीसदी आबादी के बराबर है।

बाल श्रमिक संबंधी कानून एवं नीतियाँ:

1. 1933- बाल बंधुआ श्रम अधिनियम
2. 1938- बाल रोजगार अधिनियम
3. 1948- कारखाना अधिनियम
4. 1986- बाल श्रम (नियमन एवं उन्मूलन)अधिनियम

भारतीय संविधान के अनुसार- जहां 5-14 वर्ष के बीच के बालक/बालिका जो वैतनिक श्रम या श्रम द्वारा अपने पारिवारिक कर्ज को चुकाते हैं,वे सभी बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 15(3)- सरकार को बच्चों के लिए अलग से कानून बनाए जाने का अधिकार प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24- 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को जोखिमपूर्ण कार्य,कारखानों,खानों,या अन्य किसी प्रकार के खतरनाक कार्य मे लगाने पर प्रतिबंध लगाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 एवं 21(क)6-14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करते हैं।

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून 1986- यह कानून 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 13 पेशों और 57 प्रक्रियाओं मे जिन्हे बच्चों के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है ,मे नियोजन को प्रतिषेध करता है।

बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 के तहत माता-पिता या अभिभावक जो भी हो यदि बालक को गिरवी रखता है उसे सजा का प्रावधान है।

फैक्ट्री कानून 1948- यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध करता है।

खान अधिनियम 1952-18 वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी खदान मे मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है।

एन.सी.एल.पी. योजना (राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना)- यह एक केडरिय क्षेत्र की योजना है। इसके अंतर्गत 9-14 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर परियोजना के तहत स्थापित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों मे रखा जाता है। जहा औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा मे आने से पूर्व ब्रिज शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,मध्यान्ह भोजन,छात्रवृत्ति आदि सुविधाएं दी जाती हैं।

हाल ही मे भारत ने बाल श्रम पर **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के दो समझौतों 138 (रोजगार के लिए न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के सबसे निकृष्टम रूप) के तहत बाल श्रम के उन्मूलन की पुष्टि की है।**

अध्ययन की आवश्यकता-बाल श्रम अपराध होते हुए भी बहुतायत मे बालकों को श्रम करते हुए अपने आस-पास देखा जा सकता है। शोधकर्त्री ने भी अपने आस-पास के कई क्षेत्रों मे बाल श्रमिकों को देखा है जिनमे से ज़रदोजी उद्योग के बाल श्रमिक प्रमुख है। ये बाल श्रमिक मजदूरी के लिए पूरे दिन श्रम करते है और बदले मे इनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। अमूमन ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। यदि जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वे काम के वजह से स्कूल को बीच मे छोड़ कर ही आ जाते हैं ।इन तमाम दशाओं को ध्यान मे रखकर शोधकर्त्री को ऐसे बालकों की स्थिति जाने की उत्सुकता हुई। पायलट अध्ययन के समय शोधकर्त्री के समक्ष बाल श्रमिकों की कई समस्याएं आई जिनके विषय मे शोधकर्त्री और अधिक जानना चाहती है जिसके लिए इस समस्या से संबंधित आगामी शोध मे अध्ययन किया जाएगा।

समस्या कथन-

ज़रदोजी उद्योग मे कार्यरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक आकांक्षाएं एवं विभिन्न सरकारी शैक्षिक नीतियाँ

अध्ययन के उद्देश्य-

1)ज़रदोजी उद्योग मे कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान करना।

अ)बाल श्रमिक बनने के पीछे के कारणों का पता लगाना।

ब)बाल श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना।

2)ज़रदोजी उद्योग मे कार्यरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।

3))ज़रदोजी उद्योग मे कार्यरत बाल श्रमिकों की शैक्षिक आकांक्षाओं का अध्ययन करना।

4)बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी शैक्षिक योजनाओं,नीतियों का अध्ययन करना।

शोध प्रक्रिया-

प्रस्तुत शोध-पत्र पायलट अध्ययन पर आधारित है। पायलट अध्ययन मे गुणात्मक शोध की नृवंशवैज्ञानिक शोध विधि के द्वारा ज़रदोजी उद्योग के बाल श्रमिकों का अध्ययन किया गया।अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान मे रखते हुए शोधकर्त्री ने प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया। द्वितीयक स्रोतों जैसे सरकारी वेबसाईट,पुस्तकें,पत्रिकाएं,आदि के माध्यम से तथा प्राथमिक स्रोतों के रूप मे प्रतिभागी अवलोकन,व्यक्तिगत साक्षात्कार,फील्ड सर्वे,समूह चर्चा आदि के द्वारा ज़रदोजी उद्योग मे संलग्न बाल श्रमिकों से तथ्यों का संकलन किया। शोधकर्त्री ने अपने शोध कार्य के पायलट अध्ययन मे

बरेली जिले के शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के 30 बाल श्रमिकों का चयन किया । शोधकर्त्री ने इन बाल श्रमिकों के परिवारों,कुछ सूचनादाताओं आदि से भी चर्चा की।

शोध निष्कर्ष एवं चर्चा- अपनी शोध समस्या के पायलट अध्ययन मे शोधकर्त्री का व्यक्तिगत अनुभव रहा कि ये बाल श्रमिक आर्थिक पिछड़े परिवारों से हैं। इन बाल श्रमिकों को बाल श्रम हेतु बनाए गए नियम एवं लाभकारी नीतियों की कोई जानकारी नहीं है। कुछ बालक स्कूल जाते भी है पर वे भी बीच समय मे स्कूल से वापस आ जाते है और कुछ तो कभी स्कूल नहीं गए। पायलट अध्ययन होने के कारण न्यादर्श का आकार केवल 30 बाल श्रमिक ही था। इसलिए बाल श्रमिकों के और अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए आगामी शोध मे न्यादर्श का आकार बढ़ाकर इस समस्या पर अधिक जानकारी एकत्र की जाएगी। बाल श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति,उनका तथा उनके परिवार का शिक्षा के प्रति क्या नजरिया है, उनकी शैक्षिक आकांक्षाएं आदि के विषय मे आगामी शोध मे अध्ययन किया जाएगा।

संदर्भ-सूची

1. कुलश्रेष्ठ, जे.सी.; " चाइल्ड लेबर इन इंडिया",आशीष पब्लिशिंग हाउस ,न्यू दिल्ली,1978।
2. गिरि,वी.वी.; "भारतीय उद्योग मे श्रमिक समस्या",एशिया पब्लिशिंग हाउस,न्यू दिल्ली,1960।
3. योजना,अप्रैल,2017 ।
4. सत्यार्थी,कैलाश.; "सुरक्षित बचपन से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण",योजना,अप्रैल,2017।
5. सेकर,आर,हेलेन.; "बाल श्रम कानून मे सुधार" योजना,अप्रैल,2017।
6. कुमारी,डॉo,किरण,; "बाल श्रमिकों के परिवारों का एक अध्ययन :मुजफ्फरपुर जिला के विशेष सदर्भ मे",इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड एनालिटिकल रिव्यू,वॉल्यूम-6,इशू-1,जनवरी,आइ.एस.एस.एन.;2349-5138
7. www.unicef.org.
8. www.ilo.org